RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-10
October-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

भारतीय स्वाधीनता के पश्चात् नारी सशक्तिकरण

डॉ0 सोनी गुप्ता

इतिहास विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

आजादी के बाद महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और न्यायिक स्थिति में भारी परिवर्तन आए हैं। यह अप्रत्याशित नहीं है। महिलाओं की स्थिति में बेहतरी का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश से ही सामाजिक सुधार आंदोलन के केंद्र में रहा है, जब राममोहन राय ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करना शुरू किया। उन्नीसवीं सदी के तीसरे, और खासकर चौथे दशक में महिलाओं ने सक्रियता से आजादी के आंदोलन में भाग लिया। गांधीजी ने तीस के दशक के मध्य में महिलाओं और आजादी के लिए बहादुरी से लड़ने वाली योद्धा मृदुला साराभाई से कहा, मैंने भारतीय महिलाओं को रसोईघर से बाहर लाने का कार्य किया है, अब आपको (महिला कार्यकर्ताओं को) उन्हें वापस लौटने से रोकने का काम करना है। यह कोई खाली लफ्फाजी या विचारहीन आवाहन नहीं था। राष्ट्रीय भावनाएं रखने वाली राजनीतिक हस्तियां माना जो संघर्ष और बलिदान में पुरूषों से अधिक नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो साबित हुई ही। इस प्रकार, सामाजिक गतिविधियों में महिलाएं की भागीदारी के बारे में सैद्धांतिक बहस के कई हल किए जा सके। यदि महिलाएं जुलूसों में मार्च कर सकती हैं, कानून का उल्लंघन कर सकती, जेल जा सकती हैं और वह भी बिना परिवार के पुरूषों के संरक्षण के तो वे नौकरियाँ भी कर सकती है, उन्हे वोट देने का अधिकार है, और यदि संभव हो ता पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार का भी। बीस के दशक से महिलाओं द्वारा विशाल जन–संघर्षों के राजनीतिक भागीदारी ने ऐसी संभावनाएं खोल दीं, जो सामाजिक सुधारों की पूरी सदी ने भी नहीं खोली थी। महिला की छवि उन्नीसवीं सदी में न्याय की हकदार से बीसवी सदी के आरंभ में राष्ट्रवादी पुरूषों की समर्थक, और फिर तीस और चालीस के दशक में उनकी सहयोगिनी में बदल गई। महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराओं में भाग लिया– गांधीवादी, समाजवादी कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी आतंकवादी इत्यादि। वे ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन का हिस्सा रहीं। उन्होंने अलग महिला संगठन भी बनाए, इनमे 1926 में स्थापित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण था।

आजादी के बाद पिछले कठिन संघर्षों कें नतीजों को मजबूती प्रदान करने का समय आया। इसलिए स्वाभाविकतया ध्यान कानूनी और वैधानिक अधिकार हासिल करने की ओर गया। संविधान ने महिलाओं को पूर्ण समानता का वादा किया। उसने कई वर्षों पहले राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा किए गए वादे को पूरा किया। महिलाओं को पुरूषों के बराबर, बिना शिक्षा, संपत्ति या आय के भेदभाव के बिना वोट का अधिकार मिला। यह एक अधिकार था जिसके लिए पश्चिमी देशों में महिला मताधिकारवादियों ने लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भारतीय महिलाओं ने इसे एक क्षण में हासिल कर लिया था।

पचास के दशक के आरंभ में नेहरू ने हिंदू को बिल पास करने की प्रक्रिया आरंभ की। इसकी मांग तीस के दशक से महिलाएं करती रही हैं। संवैधानिक विशेषज्ञ बी.एन. राव जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया था, की अध्यक्षता मे गठित समिति बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी। वे आजादी के बाद कानून मंत्री बने थे। उन्होंने एक बिल पेश किया जिसमे शादी और उसके लिए सहमति, कही उम्र बढ़ाई गई, पुरूषवाद का समर्थन किया गया, महिलाओं को तलाक, खर्चे की रकम और उत्तराधिकार के अधिकार दिये गए, और दहेज को स्त्रीधन या महिलाओं की संपत्ति माना गया। बिल को कांग्रेस जनों का बहुमत तथा महिला कार्यकर्ताओं एवं समाज सुधारकों की ओर से मजबूत समर्थन मिला। लेंकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं हिचकिचाहट एवं समाज के पुरातनपंथियों के तगड़े विरोध के कारण बिल को मुल्तवी कर दिया गया। आगे चलकर बिल के विभिन्न हिस्सों को अलग–अलग एक्टो के रूप में पास किया गया– हिंदू उतराधिकार एक्ट, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक एक्ट और गोद लेने तथा खर्चा दने संबंधी कानून।

हिंदू महिलाओं को कानूनी अधिकारों के दायरे में लाना पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक बड़ा कदम अवश्य था। यह सरकार द्वारा अन्य धार्मिक समुदायों तक कानूनी अधिकार पहुंचाने की कोशिशों के तीखे विराध से स्पष्ट हो जाता है। शाहबानो केस एक अच्छा उदाहरण है। हिंदू कानून में सुधार के चालीस वर्शों 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक–शुदा मुसलिम महिला शाहबानो को खर्च के लिए एक छोटी–सी रकम की इजाजत दी। इसी पर मुसलिम पुरातनपंथियों में हंगामा मच गया। राजीव गांधी सरकार पर इतना दबाव डाला गया कि उसे झुकना पड़ा और कोर्ट के निर्णय के निषेध के लिए एक बिल लाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को अपनी कायरता के लिए डांट पिलाना आसान, और जरूरी भी, लेकिन यह याद रहे कि जहां विरोध पक्ष ने लाखों लोगों को सड़को पर उतारा, वही शाहबानो के समर्थक मात्र कुछ सौ ही लोगों सी लोगों को इकट्ठा कर पाए। हिंदूओं के लिए अधिक मूलगामी सिविल कोड नही लाने और सारे नागरिकों के लिए समान सिविल कोड नहीं बनाने के लिए नेहरू की आलोचना की जा सकती है लेकिन यह याद रखा जाना चाहिए कि जहां उन्हे विरोध का सामना अवश्य करना पड़ा, वहीं उन्हे काफी समर्थन भी मिला। इसका कारण यह कि मुसलमानों के बजाए हिंदूओ में सुधार की प्रक्रिया कहीं आगे निकल गई थी। इसका सबूत तीस साल बाद हुए शाहबानो मुकदमे से मिलता है।

कुछ कानूनी अधिकारों का प्रयोग किया गया है और साथ ही अन्य ही कुछ सिर्फ कागजी ही बनकर रह गए हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

वोट का अधिकार बड़ी गंभीरता से लिया गया है। महिलाए बड़ी उत्साही वोटर होती हैं जो वोट की ताकत के प्रति बड़ी सजग हैं। यह बात ग्रामीण महिलाओं पर खासतौर पर लागू होती है लेकिन दूसरे कानूनी अधिकारों खासकर पैतृक संपति संबंधी अपने अधिकार छोड़ देती है। इसका मुख्य कारण पति के घर (ससुराल) में रहने की प्रथा है। और यह भी एक कारण कि क्यों महिलाएं दहेज नहीं छोड़ती क्योंकि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का यही एकमात्र रास्ता बच जाता है। शहरी इलाकों में तलाक के अधिकार का प्रयोग अधिकाधिक किया जा रहा है हालांकि इसे अभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अकेली महिला के लिए जीवन चलाना अभी भी कठिन है।

एक सकारात्मक घटना यह है कि महिला संगठनों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों एवं आम लोगो के बीच काम करने वाले संगठनों ने महिलाओं की समस्याएं उठाई है। स्वाभाविक है कि अधिक ध्यान महिला– की शोषण के विभिन्न स्पष्ट रूपों पर गया है जैसे दहेज से संबंधित मृत्यु की घटनाए बलात्कार शराबखोरी और उससे जनित घरेलू हिंसा इत्यादि। इन प्रश्नों पर सत्तर के दशक से नब्बे के दषकों के बीच कई प्रकार के आंदोलन हुए। कुछ तो स्थानीय थे कुछ अधिक व्यापक और इनके कारण जन–चेतना में विकास हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. जेंडर एंड कल्चर इन कंटेंपोरेरी इंडिया, दिल्ली, 1996, पृ. 503–32।
2. इंडिया : इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड सोषल अपॉर्चुनिटी, दिल्ली, 1995।
3. पाताल देषों की कथाएँ – डॉ0 बलराम चक्रवर्ती, स्वनिर्भरता समिति, कलकत्ता, 2001।
4. सभ्यता की कहानी – एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, 1989 एवं 1992 के संस्करण।
5. धर्मशास्त्र का इतिहास, द्वितीय खंड– म0म0 पाण्डुरंग वामनकाणे, अध्याय 12– परदे की प्रथा (हिन्दी अनुवाद), उ0 प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ, तृतीय संस्करण 1980 ई0।

RRIJM 2015, All Rights Reserved